संख्या 3333/55–पर्या–08–202(पर्या)2008

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
4. आयुक्त, आवास विकास परिषद, उ.प्र. लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र., लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग लखनऊः दिनांक 29 सितम्बर, 2008

विषय : टाउनशिप/कालोनियों में एस.टी.पी./म्युनिसपल सालिड वेस्ट का निस्तारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सतत विकास की ओर अग्रसर है, जिसमें प्रमुख शहरों का विस्तार त्वरित गति से किया जा रहा है। इस विकास की गति में विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्राइवेट बिल्डर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा शहरों में आधुनिक टाउनशिप/कालोनियों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि विकास के साथ–साथ प्रदेश के पर्यावरण को संतुलित बनाये रखा जाये। यह देखने में आया है कि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकास के नियोजन के पूर्व पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गयी है, जिसको वर्तमान में दिया जाना वैधानिक आवश्यकता है।

2. अतः सभी विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्राइवेट बिल्डरों का यह वैधानिक दायित्व है कि वे नई कालोनियों व व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास/स्थापना से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अनिधनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत पूर्व सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। साथ ही साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव निर्धारण सम्बन्धी जारी अधिसूचना संख्या 1533, दिनांक 14–09–2006 के अनुसार भवन एवं निर्माण परियोजनाओं तथा टाउनशिप एवं क्षेत्र विकास परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण से प्राप्त किये जाने की बाध्यता है, जिससे परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रबन्धन की अनिवार्यतायें जैसे सीवेज, उपचार

संयंत्र, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जल संचालन आदि की व्यवस्था का सघन अध्ययन कर परियोजना को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जा सके।

3. अतः सभी विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं प्राइवेट बिल्डरों को निदेशित किया जाता है कि वे नई प्रस्तावित आवासीय कालोनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं बहुखण्डी इमारतों को विकसित/स्थापना करने से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। साथ ही अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 में आवश्यकतानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं प्राइवेट बिल्डर्स अपने टाउनशिप /कालोनियों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भविष्य में विकसित करने से पूर्व एक योजना तैयार करेंगे, जिसमें एस.टी.पी./म्युनिस्पिल सालिड वेस्ट व औद्योगिक उत्प्रवाह के निस्तारण के लिए जो भूमि अधिगृहीत/चिन्हित करें, उसको वर्ष 2040 के सीवेज निस्तारण आदि को आधार मानते हुए किया जाये, साथ ही साथ जो एस.टी.पी. /म्यूनिस्पिल सालिड वेस्ट फैसिलिटी बनाने का प्रस्ताव दिया जाये, उसको भी वर्ष 2040 को आधार मानकार विभिन्न चरणबद्ध रूप से लगाया जाय।

5. उपरोक्त कार्य से एक ओर जहॉ विकास को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का संतुलन भी बना रहेगा।

6. कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

एस.आर. लाखा
प्रमुख सचिव

संख्या /55–पर्या–08–202(पर्या) 2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/आवास एवं शहरी विकास विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
3. सचिव, औद्योगिक विकास व अवस्थापना विभाग, उ.प्र. शासन।
4. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।

आज्ञा से,

दिनेश कुमार
उप सचिव